सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 12/2018 अपील (RCMS/2018/00013)
पंजीयन दिनांक — 31.01.2018
निर्णय दिनांक — 28.08.2018

1. श्री कना पिता धन्ना डांगी, निवासी दरोली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती राधा पत्नि सुन्दरलाल डांगी, निवासी धनवा रेट – भवरासिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
2. ग्राम पंचायत करणपुर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

— रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—

1. श्री तुलसीराम डांगी — वकील अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर, वल्लभनगर, प्रकरण संख्या 130/2013 दिनांक 19.09.2013

निर्णय

दिनांक 28.08.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर, वल्लभनगर, प्रकरण संख्या 130/2013 दिनांक 19.09.2013 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मौजा करणपुर तहसील वल्लभनगर में आराजी संख्या 3199 रकबा 7 बिस्वा 3200 रकबा 13 बिस्वा, 3201 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 3202 रकबा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 3203 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, कुल किता 5 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है,

जिस पर अपीलान्ट अनुसार वह काबिज होकर भूमि का उपयोग कर रहा है। अपीलान्ट अनुसार उसको गुमराह कर रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती राधा एवं उसके पति ने उपरोक्त भूमि के 9/10 वे हिस्सें का फर्जी विक्रय पत्र श्रीमती राधा के नाम करा लिया। तत्पश्चात पटवारी हल्का द्वारा कथित विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 3537 दर्ज किया। अपीलान्ट द्वारा कथित विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु एक स्थायी निषेद्याज्ञा प्रदान कराये जाने हेतु माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, उदयपुर के यहा रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती राधा एवं उसके पति के विरूद्ध वाद न्यायालय में पेश किया जो विचाधीन है। अपीलान्ट ने रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती राधा एवं उसके पति के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 420, 471, 467, 468, 120–बी आई.पी.सी. में दर्ज कराई, बाद अनुसंधान पुलिस थाना रेस्पोडेंट संख्या 1 व उसके पति सुन्दरलाल के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मावली के समक्ष चालान प्रस्तुत किया, जो अपीलान्ट अनुसार पंजीबद्ध होकर जैर सुनवाई है। कथित जायदाद को लेकर अपीलान्ट की पुत्री पुष्पा डांगी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभगर में एक वाद बाबत घोषणा बटंवारा, स्थायी निषेद्याज्ञा का पेश कर रखा था एवं साथ ही धारा 212 आर.टी.ए. का प्रार्थना पत्र पेश कर रखा जिसके मुकदमा नम्बर 47/2007 प्रार्थना पत्र है, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.2009 को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दियें।

अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत करणपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3537 को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि मौके पर प्रार्थी/क्रेता का कब्जा नहीं है तथा मौके पर विवाद है जिसकी एफ.आई.आर. दिनांक 01.03.2012 को पुलिस थाना डबोक में दर्ज है, वल्लभनगर एस.डी.ओ. कोर्ट में 47/2007 धारा 212 वाद चल रहा है, अतः उक्त विवाद समाप्त होने पर ही नामान्तरकरण स्वीकार योग्य है। अतः नामान्तरकरण निरस्त किया किया जाता है।

ग्राम पंचायत के कथित आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेट संख्या 1 ने अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाने से उप जिला कलक्टर, वल्लभनगर के न्यायालय में एक अपील प्रस्तुत की जिसके अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, वल्लभनगर द्वारा ग्राम पंचायत करणपुर के नामान्तरकरण संख्या 3537 आदेश दिनांक 04.02.2013 को निरस्त करते हुए रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर नामान्तरकरण पारित करने के आदेश दिये गये। जिससे व्यथीत होकर उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेंटस् की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस दिनांक 10.07.2018 एवं दिनांक 20.08.2018 को मजीद बहस को सूनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की यह धारा बिल्कुल गलत है कि जहां पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से बेचान किये गये तथा बेचान पत्र में विक्रेता को कब्जा सौपनें के तथ्य को स्पष्ट से अंकित किया गया है, वहा विक्रेता से पुनः कब्जे के बारे में जानकारी करना आवश्यक नहीं है जबकि वास्तविकता यह है कि कथित विवादित भूमि का पंजीयन अपीलान्ट को धोखें में रख कर फर्जी तरीके से रेस्पोडेंट संख्या 1 व उसके पति ने कराया जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट डबोक पुलिस थाना में दर्ज है। तथा ग्राम पंचायत करणपुर ने भी स्पष्ट तौर से अपने आदेश में रेस्पोडेंट का मौके पर कब्जा नहीं होना एवं मौके पर विवाद होना, डबोक थाना में एफआईआर दर्ज होना एवं वल्लभनगर कोर्ट में वाद विचारण होना, सारे तथ्य स्पष्ट तौर से अपने आदेश में अंकित किये। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व दस्तावेजों के विपरित जाकर मनमानें तरीके से कथित विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण करने का आदेश दिया है, वह काबिल निरस्त है। वादग्रस्त भूमि बाबत उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर द्वारा दिनांक 18.05.2009 को यथास्थिति के आदेश दे रखे है। तथाकथित भूमि बाबत एक सिविल वाद न्यायालय जिला न्यायाधीश, उदयपुर में विचाराधीन है। एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर के यहा विचारधीन है जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट संख्या 1 को है तथा इसके अलावा कथित राजस्व वाद में अस्थायी निषेद्याज्ञा जारी, इस बाबत पृष्ठाकंन राजस्व अभिलेख में अंकित होते हुए भी तहसीलदार, वल्लभनगर ने दिनांक 12.06.2015 को अपीलान्ट को बिना सुने व सुनवाई का अवसर दिये कथित नामान्तरकरण को स्वीकृत कर दिया ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिल निरस्त है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से कथित आदेश की जानकारी नहीं हो सकी और दिनांक 30.09.2015 को रेस्पोडेंट संख्या 1 व उसके पति मौके पर आये और अपीलान्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने की असफल प्रयास किया कि जमीने हमने हमारे नाम करा ली है। तत्पश्चात पटवारी हल्का से जानकारी प्राप्त कर अधिवक्ता के माध्यम से नकल प्राप्त कर विचाराधीन अपील प्रस्तुत की। अपीलान्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया है। अन्त में अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को आदेश निरस्त फरमाये जाने का अनुरोध किया है।

अपने कथन के समर्थन में वकील अपीलान्ट ने निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है– RRD 1995 Page No. 194, RRT 2009(2) Page No. 816, RBJ 2006(13) Page No. 366, RRT 2006(1) Page No. 473, RBJ 1999 (6) Page No. 481

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि रेस्पोडेंट संख्या–1 श्रीमती राधा डांगी द्वारा उपरोक्त भूमि के 9/10वें हिस्से को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया है, जिसके अनुसार विक्रेता द्वारा क्रेता श्रीमती राधा को कब्जा सौपनें के तथ्यों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 3537 स्वीकृत किया गया। नामान्तरकरण सम्बधी कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है, जिसमें केवल मात्र यही देखा जाना होता है कि जो नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है वह नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए तस्दीक किया गया है अथवा नहीं। वर्तमान प्रकरण में नामान्तरकरण पंजीबद्व दस्तावेज यानि पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष ग्राम पंचायत के सरंपच उपस्थित नहीं हुए और न ही नामान्तरकरण निरस्त करने के सम्बन्ध में कोई जवाब प्रस्तुत किया है। ग्राम पंचायत करणपुर द्वारा म्युटेशन को निरस्त करने के कोई पर्याप्त आधार नहीं होने से एवं प्रकरण में तथ्यों के विश्लेषण अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर जांच कर नामान्तकरण स्वीकृत किया जाना आवश्यक समझ तहसीलदार, गिर्वा को उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने का निर्णय 19.09.2013 को पारित किया। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर उप जिला कलक्टर, वल्लभनगर द्वारा प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। उप जिला कलक्टर, वल्लभनगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.09.2013 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनाक 28.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर